



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)
U.P. POWER CORPORATION LIMITED
(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)
14-अशोक मार्ग, शक्ति भवन, लखनऊ

संख्या-1224-अ.प्र.-04/पाकालि/2010-1-जी.ई.(छ:)/80

दिनांक: मई, 07 2010

कार्यालय ज्ञाप

कारपोरेशन के कार्यालय ज्ञाप संख्या 666-अ.प्र.-04/पाकालि/2010-1-जी.ई.(छ:)/80 दिनांक 06.03.2010 के अनुक्रम में, निवर्तन वय प्राप्त होने पर अधोनामित नवप्रोन्नत सहायक अभियन्ता उ.प्र.पावर कारपोरेशन लि. की सेवाओं से उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि को सेवानिवृत्त होंगे:-

क्रम सं.	नवप्रोन्नत सहायक अभियन्ता का नाम (सर्वश्री)	अभिज्ञान संख्या	जन्म तिथि	सेवानिवृत्ति तिथि
1	2	3	4	5
1.	इं० हरेन्द्र सिंह चौहान	2010132	14.07.1950	31.07.2010
2.	इं० अमला यादव	2010133	15.07.1950	31.07.2010

ये आदेश उक्त सहायक अभियन्ताओं के कार्यभार ग्रहण करने की स्थिति में प्रभावी होंगे।

उपरोक्त आदेश सम्बन्धित सहायक अभियन्ताओं को स्तम्भ-5 में दर्शित उनकी सेवानिवृत्ति तिथि तक सेवा में बने रहने का अधिकार प्रदान नहीं करते हैं। संगत विनियमानुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा उन्हें लोकहित में उक्त तिथि के पूर्व कभी भी सेवानिवृत्त किया जा सकता है। किसी कारणवश उपरोक्त सूची में नाम सम्मिलित होने से रह जाने पर भी अधिवर्षता वय प्राप्त कर चुके सहायक अभियन्ता का यह व्यक्तिगत दायित्व है कि वह बिना किसी अग्रतर आदेश/निर्देश की प्रतीक्षा किये, नियत तिथि को सेवानिवृत्त/कार्यमुक्त हो जाये। साथ ही साथ, यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यदि वास्तविक सेवानिवृत्ति तिथि सूचित की जा रही तिथि से पहले पड़ती है, तो वास्तविक व सही तिथि को सेवानिवृत्त होना स्वयं अधिकारी की विधिक जिम्मेदारी होगी।

निदेशक (का.प्र.एवं प्रशासन)

संख्या: 1224(1)अ.प्र.-04/पाकालि/2010 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अध्यक्ष, उ.प्र.पावर कारपोरेशन लि., लखनऊ।
2. प्रबन्ध निदेशक, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि, विक्टोरिया पार्क, मेरठ।
3. अपर सचिव (I/II/III), उ.प्र.पावर कारपोरेशन लि., शक्ति भवन, लखनऊ।
4. मुख्य अभियन्ता (वितरण), मेरठ क्षेत्र/पारेषण-दक्षिण, आगरा को इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित कि वे अपने स्तर से सूची में नामित सेवानिवृत्त होने वाले सहायक अभियन्ताओं के सम्बन्ध में सेवानिवृत्ति सूची निर्गत कर सम्बन्धित सहायक अभियन्ताओं को तामील कराना सुनिश्चित करें। साथ ही साथ यह भी निर्देश दिये जाते हैं कि उपरोक्त नामित सूची के अतिरिक्त यदि कोई अन्य सहायक अभियन्ता/नव प्रोन्नत सहायक अभियन्ता है, जिसे उसकी सेवापुस्तिका/अभिलेखों के आधार पर वर्ष 2010-11 में सेवानिवृत्त किया जाना है, को तत्काल सेवानिवृत्त कर कारपोरेशन को फैंक्स द्वारा अवगत करायें।
5. मुख्य अभियन्ता, पारीछा तापीय परियोजना, उ०प्र०राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०।
6. मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत)/(आर.पी.एम.ओ.), उ.प्र.पावर कारपोरेशन लि., लखनऊ।
7. लेखाधिकारी (जीपीएफ)/(पेन्शन)/(महास्तर)/(वेतन एवं लेखा), उ.प्र.पावर कारपोरेशन लि., शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
8. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ.प्र.पा.का.लि., कक्ष सं० 401, शक्ति भवन, लखनऊ को पा.का.लि. की अधिकृत वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु।
9. सम्बन्धित अधिकारी/वैयक्तिक पत्रावली/कट फाइल/सूचना पट/कम्प्यूटर इकाई, उ.प्र.पावर कारपोरेशन लि., शक्ति भवन, लखनऊ।
10. संयुक्त सचिव, अनुशासनिक कार्यवाही, उ.प्र.पावर कारपोरेशन लि., शक्ति भवन, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उपर्युक्त सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारियों के विरुद्ध लम्बित विभागीय कार्यवाही/जांच इत्यादि, यदि कोई हो, को यथासमय पूर्णतः निर्णीत कराने की व्यवस्था करने का कष्ट करें, जिससे कि अधिकारियों के नैवृत्तिक लाभों की स्वीकृति में अनावश्यक विलम्ब न हो।

नोट- सम्बन्धित सहायक अभियन्ताओं से अपेक्षा है कि सेवानिवृत्ति के पश्चात अपने निवास स्थान का पूरा पता (नाम, अभिज्ञान संख्या, मकान नम्बर, गली, मोहल्ला, शहर, जिला, पिन कोड नम्बर आदि) पत्राचार हेतु कारपोरेशन मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

आज्ञा से
(बी.बी.श्रीवास्तव)
उप सचिव